

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर (म.प्र.)
(समक्ष-ओ.पी. बोहरा)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1091 / 2013

आर.सी.टी. नं. 301091 / 2013

संस्थित दिनांक 24.09.2013

म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी वृत्त अलीराजपुर,
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. अश्विन पिता पवन जायसवाल, उम्र 23 वर्ष,
निवासी टौकी थाना मनावर, जिला धार (म.प्र.)
2. योगेश पिता कैलाश उर्फ अनोखीलाल, उम्र 30 वर्ष, (फरार)
निवासी भमोरी खुर्द उन थाना उन,
जिला खरगोन (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

निर्णय

{आज दिनांक **06.09.2017** को घोषित}

1. प्रकरण में अभियुक्त योगेश फरार है। अभियुक्त अश्विन पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत यह आरोप है कि, दिनांक 08.08.2013 को समय 02:50 बजे स्थान नानपुर मेनरोड पर ग्राम अजंदा फाटा के मोड़ पर यात्री प्रतिकालय के सामने वाहन मारुती वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही. 9493 में शराब लिबर्टी टैंगो जीन 09 पेटी प्रत्येक में 48-48 क्वाटर 180 एम.एल. के 50 बल्क लीटर से अधिक शराब को बिना अनुज्ञप्ति अपने आधिपत्य में रखकर अवैध रूप से परिवहन किया।
2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।
3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आबकारी वृत्त अलीराजपुर के उपनिरीक्षक जयसिंह ठाकुर के द्वारा घटना दिनांक 08.08.2013 को नानपुर मेनरोड पर ग्राम अजंदा फाटा के मोड़ पर यात्री प्रतिकालय के सामने वाहन चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान वाहन वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही. 9493 पर संदेह होने पर पंचान के समक्ष वाहन रोककर तलाशी करने पर 09 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब होना

पाई तथा मौके पर मदिरा से संबंधित कोई परमिट अथवा कागज पेश नहीं किये गये। इस पर आबकारी उपनिरीक्षक जयसिंह ठाकुर ने मौके पर अंग्रेजी शराब मय वाहन के जप्त किया व घटनास्थल का नक्शामौका तैयार कर अभियुक्त अश्विन को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध आबकारी थाने पर अप.कं. 85/13 अंतर्गत धारा 34(1), 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान के अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. प्रकरण में अभियुक्त अश्विन को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा धारा 313 दफ्तर के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाया जाने का कथन कर बचाव कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणा प्रश्न प्रकट होते हैं, जो विनिश्चय के कारण व निष्कर्ष सहित अंकित किये जा रहे हैं :-

क— क्या अभियुक्त अश्विन ने दिनांक 08.08.2013 को समय 02:50 बजे स्थान नानपुर मेनरोड पर ग्राम अजंदा फाटा के मोड़ पर यात्री प्रतिकालय के सामने वाहन मारुती वेन क. एम.पी. 09 वी. 9493 में लिबर्टी टैगो जीन 09 पेटी प्रत्येक में 48—48 क्वाटर 180 एम.एल. के 50 बल्क बल्क लीटर से अधिक शराब को बिना अनुज्ञप्ति अपने आधिपत्य में रखकर अवैध रूप से परिवहन किया ?

ख— दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा ?

सकारण विवेचना सहित निष्कर्ष

अवधारणा प्रश्न कं. 'क' का निराकरण :-

6. साक्षी जयसिंह (अ.सा.3) का कथन है कि, वह दिनांक 07.08.2013 को वृत्त आबकारी विभाग अलीराजपुर में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

उक्त दिनांक को वह, कालूसिंह बघेल, आबकारी आरक्षक, अजय एवं आबकारी विभाग के स्टाफ के साथ ग्राम खरपई अजंदा फाटा पर वाहन चैकिंग के लिये खड़ा था। चैकिंग के दौरान नानपुर तरफ से एक छोटी गाड़ी आते दिखी, जिसे हाथ देकर रोकने पर वाहन मारुति वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही 9493 थी। उक्त वाहन को अभियुक्त अश्विन चलाकर लाया था, जिसे प्र.पी. 1 की जामा तलाशी देकर पंचान के समक्ष उक्त वाहन की तलाशी करने पर लेबर्टी टैंगो कंपनी का लेबल लगी 09 पेटी शराब रखी होना पाई थी तथा मौके पर तलाशी पंचनामा प्र.पी. 2 एवं उक्त द्रव्य की गणना कर गणना पत्रक प्र.पी. 3 का बनाया था।

7. उक्त साक्षी जयसिंह (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि उसने 09 पेटी शराब में से 4-4 पाव सील तोड़कर परीक्षण किया था तथा परीक्षण में उक्त द्रव्य को देखने पर केरेमल रंग, सूंघने पर एल्कोहलीय गंध, चखने पर स्वाद खटटा मीठा तथा नीला लिटमस पेपर डालने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होना पाया था एवं यांत्रिकी परीक्षण करने पर थर्मामीटर रीडिंग 71 डिग्री फेरेनहाइट, हाइड्रोमीटर रीडिंग 88.0 गुणित 68.5 यूपी तेजी होना पाई थी तथा परीक्षण में उक्त द्रव्य को भारत निर्मित अंग्रेजी शराब होना पाया जिसकी जांच रिपोर्ट प्र.पी. 4 है तथा अभियुक्त अश्विन से उक्त शराब मय वाहन क्र. एम.पी. 09 वी. 9493 के जप्तकर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 7 का तैयार किया था।

8. उक्त साक्षी जयसिंह के कथनों का समर्थन साक्षी कालूसिंह (अ.सा.1) द्वारा अपने कथनों में करते हुए अभियुक्त अश्विन द्वारा मारुति वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही 9493 चलाना और वाहन की चैकिंग आबकारी उपनिरीक्षक जयसिंह द्वारा करने पर वाहन में 09 पेटी अंग्रेजी टैंगो कंपनी की शराब होने तथा उक्त शराब के संबंध में लायसेंस तथा परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं होना प्रकट किया जाने पर उक्त शराब को गणना कर उसके सामने जप्त करने के तथ्य का समर्थन किया है।

9. प्रकरण में साक्षी अजय (अ.सा.2) ने प्रकट किया है कि उसके कथन दिनांक से 5-6 माह पूर्व रात करीब 11 बजे के आसपास की घटना है वह अपने घर

तीखी ईमली जा रहा था तब आबकारी विभाग के अधिकारी ठाकुर साहब गाडी लेकर आ रहे थे और उसे बुलाया एवं गाडी में बैठाकर नानपुर रोड ग्राम खरपई फाटे पर चैकिंग कर रहे थे तब नानपुर तरफ से मारुति वेन गाडी रोककर चैकिंग की तो उसमें 09 पेटी टेंगो कंपनी की शराब पाई थी जिसकी मशीन से जांच की गई थी। उक्त साक्षी ने जामा तलाशी पंचनामा प्र.पी. 1, तलाशी पंचनामा प्र.पी. 2, मदिरा गणना पत्रक प्र.पी. 3, मदिरा जांच पत्रक प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 तथा नक्शामौका प्र.पी. 7 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने आर्टिकल ए-1 लगायत ए-8 की शराब दिखाये जाने पर प्रकट किया है कि यह वही शराब है जो मौके से जप्त की गई थी तथा उक्त साक्षी ने जप्ती चीट के बी से बी भाग हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया गया है। साक्षी श्याम (अ.सा.4) ने आर्टियों ऑफिस सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ होकर मारुति वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही. 9493 उनके कार्यालय के लेख अनुसार फरार अभियुक्त योगेश नाम होना बताया है।

10. प्रकरण में साक्षी जयसिंह द्वारा अभियुक्त अश्विन के आधिपत्य से मारुति वेन क्र. एम.पी. 09 व्ही. 9493 में 09 पेटी अंग्रेजी लेबर्टी टेंगो कंपनी की शराब बिना लायसेंस परिवहन करते पाया है जिसका समर्थन साक्षी कालूसिंह बघेल के कथनों से एवं साक्षी अजय के कथनों से होता है। अभियोजन की ओर से पंचनामा तलाशी प्र. पी. 1, तलाशी पंचनामा प्र.पी. 2, मदिरा गणना पत्रक प्र.पी. 3, मदिरा जांच पत्रक प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 तथा नक्शामौका प्र.पी. 7 प्रस्तुत किये गये हैं जिनके अवलोकन से आरोपी के आधिपत्य से 09 पेटी अंग्रेजी लेबर्टी टेंगो कंपनी की शराब जप्ती के कथन का समर्थन होता है। साक्षी जयसिंह ने अपने कथनों में प्रकट किया कि 09 पेटी शराब में से 4-4 पाव सील तोड़कर परीक्षण किया था तथा परीक्षण में उक्त द्रव्य को देखने पर केरेमल रंग, सूंघने पर एल्कोहलीय गंध, चखने पर स्वाद खटटा मीठा तथा नीला लिटमस पेपर डालने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होना पाया था एवं यांत्रिकी परीक्षण करने पर थर्मामीटर रीडिंग 71 डिग्री फेरेनहाइट, हाइड्रोमीटर रीडिंग 88.0 गुणित 68.5 यूपी तेजी होना पाई थी तथा परीक्षण में उक्त द्रव्य को भारत निर्मित अंग्रेजी शराब होना पाया। जांच रिपोर्ट प्र.पी. 4 के अवलोकन से भी साक्षी जयसिंह के कथनों का समर्थन होता है।

11. उपरोक्तानुसार अभियुक्त के आधिपत्य से 77.76 बल्क लीटर शराब जप्त होना संदेह से परे प्रकट होता है और उस स्थिति में आबकारी अधिनियम 43 के आधार पर यह उपधारणा प्रकट होती है कि अभियुक्त द्वारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का उल्लंघन किया है और उक्त उपधारणा के खण्डन में अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त उपधारणा का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा जप्तशुदा शराब अवैध रूप से बिना लायसेंस अपने आधिपत्य में रखा जाना उपधारित होता है। इस बाबद न्यायदृष्टांत हरिनारायण विरुद्ध स्टेट 1962 जे.एल.जे.एस.एम. 147 अवलोकनीय है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में व धारा 43 आब.अधिनियम के आधार पर यह उपधारित होता है कि अभियुक्त अश्विन ने अपने आधिपत्य में 77.76 बल्क लीटर मादक द्रव्य अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा था।

अवधारणा प्रश्न क्रमांक 'ख' का निराकरण :-

12. उपरोक्तानुसार अभियुक्त अश्विन पिता पवन जायसवाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी टौंकी थाना मनावर, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) का आरोप संदेह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त को उक्त धारा के आरोप का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना जाना न्यायोचित होने से सजा के प्रश्न पर सुनवाई होने तक निर्णय को स्थगित रखा जाता है।

(ओ.पी. बोहरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)

पुनश्च :-

13. अभियुक्त अश्विन एवं उसके अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना उसके अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अभियुक्त अश्विन का प्रथम अपराध है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। अभियुक्त कृषक है, उसके जेल जाने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष

उपस्थित होता रहा है। अतः उसे आपराधिक परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देकर छोड़ा जावे तथा कारावास के दंड से दंडित न किया जावे।

14. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को आपराधिक परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, किंतु अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त नियमित रूप से पेशी तारीख पर उपस्थित होता रहा है। अभियुक्त कृषक होने के तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में तथा अभियुक्त अश्विन की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए अभियुक्त अश्विन को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अपराध हेतु एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000/- के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। यदि अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि अदा नहीं की जाती है तो उसे 30 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

15. अभियुक्त अश्विन के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. अभियुक्त अश्विन द्वारा विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की गई कारावास की कलावधि को दिये गये कारावास के दण्ड में समायोजित की जाकर कम की जावें, इस संबंध में निरोध की अवधि का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र पृथक से बनाया जावे।

17. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

18. प्रकरण में सहअभियुक्त योगेश फरार है। अतः जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में फरार अभियुक्त के निराकरण के समय विचार किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(ओ.पी. बोहरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)

(ओ.पी. बोहरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)